न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांकः-100/अ-59/2017-18/ बैतूल दिनांक 4/9/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 25 रा. नि. मं. आठनेर तहसील आठनेर द्वारा तहसीलदार आठनेर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि, ग्राम जामापाटी में 16 व्यक्ति लगभग 20 वर्षो से मकान बनाकर रास्ता मद के खसरा नंबर 29 पर निवासरत् है।

2- हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार आठनेर द्वारा प्रश्नाधीन खसरा नंबर की नोईयत परिवर्तन हेतु विधिवत् प्रकरण संस्थित करके जाँच उपरांत, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैसदेही के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा जामापाटी तहसील आठनेर स्थित खसरा नंबर 29 रकबा 0.898 हेक्टेयर मद रास्ता को आबादी घोषित करने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 07-05-2018 को आयोजित ग्राम पंचायत बरखेड़ की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाकर मौजा जामापाटी तहसील आठनेर स्थित खसरा नंबर 29 मद रास्ता का मद परिवर्तन हेतु निर्णय लिया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा महतपुर स्थित 29 रकबा 0.898 हेक्टेयर भूमि शासकीय रास्ता मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख के अनुसार भी उक्त खसरा नंबर रास्ता मद में दर्ज है।

(4)- तहसीलदार आठनेर द्वारा, प्रतिवेदित किया गया है कि, खसरा नंबर 29 रकबा 0.898 मद रास्ता के 0.080 हेक्टेयर भाग पर कुल 16 व्यक्ति 20 वर्षो से कच्चे मकान बनाकर निवासरत् है। मौके पर वर्तमान में 14 फिट चौड़ी सड़क बनी है, आबादी घोषित होने के बाद भी 14 फिट रास्ता शेष रहेगा तथा आवागमन भी बाधित नहीं होगा। तहसीलदार आठनेर द्वारा द्वारा उपरोक्तानुसार तथ्यो के आधार पर मौजा जामापाटी तहसील आठनेर स्थित खसरा नंबर 29 रकबा 0.898 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.080 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लालस्याही से दर्शाया गया है) को आबादी घोषित करने की अनुशंसा सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैसदेही के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैसदेही द्वारा तहसीलदार आठनेर के मत से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाँए पृथक रख सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि मे से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./8670, दिनांक 04 अगस्त 2018 द्वारा

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के प्रकरणो को छोड़कर शेष समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- अतएव प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, तहसीलदार आठनेर /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) भैसदेही के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा जामापाटी तहसील भैसदेही स्थित खसरा नंबर 29 रकबा 0.898 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.080 हेक्टेयर भूमि जिसे प्रकरण में संलग्न नक्शा प्रदर्श ''अ'' में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी। उक्त नक्शा (प्रदर्श-''अ'') इस आदेश का अंग रहेगा।

(मूलचन्द्र वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 100 /अ-59/2017-18/ 10873 बैतूल दिनांक 4/9/2018

प्रतिलिपिः-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) भैसदेही की ओर सूचनार्थ।
2- तहसीलदार आठनेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
5- सचिव ग्राम पंचायत बरखेड़ जनपद पंचायत आठनेर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.